

श्रीमान राजस्व न्यायालय ग्वालियर मध्यप्रदेश

पुनर्स्थापना - 6511/2018/झाबुआ/भू.श

11

विदुषी सुमन लता अतीस  
द्वारा इन्फॉर्मेशन पर  
दिनांक 19-12-18 को  
उत्तर।

श्रीमती शीलाबाई पति रामचन्द्र  
राजपुत निवासी गंगाखेडी  
तहसील पेटलवाद जिला झाबुआ

— प्रार्थी

  
19-12-18

विरुद्ध

नटवरसिंह पिता मदनसिंह राठौर  
निवासी ग्राम गंगाखेडी तहसील  
पेटलावद जिला झाबुआ

— प्रतिप्रार्थी

*Amended  
19/12/18*

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिये जाने  
बाबद अन्तर्गत धारा 35 भू राजस्व संहिता 1959

सम्माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से विनम्र निवेदन है कि -

1- यह कि सम्माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकरण दिनांक 18-12-2018 को नियत था किन्तु अधिवक्ता ने अपरिहार्य कारणों से अपनी डायरी में पेशी तारीख दर्ज नहीं की थी। इसलिये सद्भावना पूर्वक सम्माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने में त्रुटी की है।

2- यह कि प्रकरण में मुल प्रश्न यह है कि जब पक्षकार की मृत्यु हो चुकी थी ऐसी स्थिति में प्रकरण का निर्णय किया गया है जो कि आदेश स्वमेव शुन्य है।

3- यह कि प्रकरण में पक्षकार के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, भत्ता दिया गया था। इसी सूचना पर प्रकरण में सुनवाई किया जाने के लिये अंतिम बहस की



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन 6511/2018/झाबुआ/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>आवेदिका की ओर से विदुश्री सुमलता, अभिभाषक उपस्थित । मूल निगरानी प्र.क्र. पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भू.रा./2017/1890 प्रचलित रहने के दौरान ही अनावेदक नटवर सिंह की मृत्यु हो चुकी है । यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो कि सुनने योग्य नहीं होने से अग्रहय की जाती है ।</p> <p> अनावेदक</p> <p> अनावेदक</p>	